कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक 3941 /पी0ए0–जि0अ0/निर्देश–2016 दिनांक 24–6–2016

आदेश

प्रायः देखने में आ रहा है कि जिले के विभिन्न विभागों से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों को रजिस्टर आफ रजिस्टर में अंकित नही किया गया है तथा पत्रावली की नोटशीट तैयार करने वाले पटल सहायक,अग्रसारण अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम की मोहर नही लगायी जा रही है और न ही पत्रावली में रक्षित नोटशीट एवं पृष्ठों की पेजिंग पृष्ठांकन आदि की जाती है। पत्रावलियों पर नोटशीट लिखते समय पेज में बचे हुये स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है तथा उसके पीछे का पृष्ठ भी खाली रखा जाता है, जबकि नियमानुसार पत्रावली की नोटशीट का पृष्ठ आगे और पीछे की ओर पूर्णतः भरे होने के बाद ही दूसरे पेज की नोटशीट तैयार की जानी चाहिये।

अतः उपर्युक्तानुसार समस्त विभागीय अधिकारी/कार्यालयध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरी के निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावली रजिस्टर आफ रजिस्टर में दर्ज हो, उसकी पेजिंग हो, किसी भी नोटशीट में पेज खाली न हो तथा नोटशीट पर सम्बन्धित पटल सहायक,अग्रसारण अधिकारी व कार्यालयध्यक्ष के नीचे उनके नाम व पदनाम की मोहर अवश्य लगायी जाय अन्यथा की स्थिति में पत्रावली अव्यवस्थित तथा अनियमितरुप से रखने की जिम्मेदारी सहित पत्रावली के निस्तारण में हुए विलम्ब हेतु आपको उत्तरदायी माना जायेगा और तद्नुसार उनको वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट में भी इस तथ्य का संज्ञान लिया जायेगा।

यह कि कृपया इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद फर्रुखाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित।

2–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,फर्रुखाबाद को इस आशय से कि उपर्युक्त आदेश को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

3–जिला सूचना अधिकारी,फर्रुखाबाद।

24/06/2016

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद।